भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1631
उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि करने का प्रस्ताव

1631. श्री इटेला राजेंदर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है, जिसके लिए राज्य में शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण बढ़ाने की प्रक्रिया में केंद्र की मंजूरी आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): जैसा कि सूचित किया गया है, भारत के माननीय राष्ट्रपति के विचारार्थ और उनकी सहमति के लिए तेलंगाना राज्य के विधानमंडल के सचिव से दो विधेयक प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

*****